पत्रांक–7/पद सृजन–15–9/2015 सा0प्र0 ...../

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक.....

विषयः– **13वें वित्त आयोग की अवशेष राशि से दिनांक 31.03.2016 की अवधि तक पुराने दिवानी (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) मामलों के निष्पादन हेतु 37 जिलों में प्रति जिला 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन हेतु वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070/– में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 74 अस्थायी पदों का सृजन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–62125 दिनांक 26.10.2015 द्वारा 13वें वित्त आयोग की अवशेष राशि से दिनांक 31.03.2016 की अवधि तक पुराने दिवानी (सिविल) एवं फौजदारी (क्रिमिनल) मामलों के निष्पादन हेतु 37 जिलों में प्रति जिला 02 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन हेतु वेतनमान 51550–1230–58930–1380–63070/– में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के **74 अस्थायी पदों** का सृजन किये जाने की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–62125 दिनांक 26.10.2015 सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹ 5,69,23,020 /–(पाँच करोड़ उनहत्तर लाख तेईस हजार बीस रुपये) मात्र के **अर्द्धवार्षिक** तथा न्यायिक सेवा सवंर्गों में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में **अस्थायी रूप से** न्यायिक पदाधिकारियों के कुल **74 अस्थायी पदों** के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पदों का **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम– संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश बजट शीर्ष**–2014–न्याय प्रशासन–लघु शीर्ष–105 सिविल और सेशन्स न्यायालय–उपशीर्ष–0001–जिला एवं सत्र न्यायालय के अन्तर्गत स्थापना मद से भारित होगा। **विपत्र कोड–"एन0–2014001050001** संबंधित कोषागार से राशि की निकासी होगी।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–7/पद सृजन–15–9/2015 सा0प्र0 4657 /पटना–15, दिनांक 30.3.16

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–62120 दिनांक 26.10.2015 के प्रसंग में/मंत्रिमंडल सचिवालय/विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 29.03.2016 के मद संख्या–03 के प्रसंग में/सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/16

सरकार के उप सचिव।

D/DRIVE/SEC-07/U.S. & D.S.

व्यय–विवरणी

संचिका संख्या–7/पद सृजन–15–9/2015

DETAILS OF ESTIMATED EXPENDITURE ON CREATION OF 74 POSTS OF ADDITIONAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE FOR ESTABLISHING 74 FAST TRACK COURTS UP TO 31ST MARCH, 2016 UNDER THE 13TH FINANCE COMMISSION

SL NO	Items	Expenditure for six months (in Rs.) (B x 06)	No. of posts	Total Expenditure for Six months (in Rs.) (C x D)
A	B	C	D	E
1.	**Additional District and Sessions Judge for 74 Fast Track Courts** **Pay Scale (Rs. 51550-1230-58930-1380-63070)**	7,69,230	74	5,69,23,020

Sl no.	Head	Amount (Rs.)
i	Basic Pay	51550
ii	D.A. @ 119%	61345
iii	H.R.A. @ 20%	10310
iv	Fuel Charges (50 liter Petrol)	4000*
v	SIM Charges	1000
Total		1,28,205

कुल वार्षिक व्यय का योग – ₹ 5,69,23,020 /–(पाँच करोड़ उनहत्तर लाख तेईस हजार बीस रुपये) मात्र।

नोटः– उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय–समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतेय होगा।

30/3/16

(रामेश्वर प्रसाद दास)
सरकार के उप सचिव।